

Ref. No. AAVAS/SEC/2024-25/959

Date: February 06, 2025

To, The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051	To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001
Scrip Symbol: AAVAS	Scrip Code: 541988

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Newspaper Publication of Joint Public Notice

This is in continuation of our previous intimation bearing reference no. AAVAS/SEC/2024-25/501 dated August 10, 2024 *inter alia* informing about: (i) the execution of the share sale agreements ("**Share Sale Agreements**") amongst Aquilo House Pte. Ltd. ("**Purchaser**"), Aavas Financiers Limited ("**Company**") and certain members of the promoter and promoter group of the Company ("**Sellers**"), pursuant to which the Purchaser had agreed to acquire in aggregate 2,09,49,112 equity shares of the Company from the said members of the promoter and promoter group of the Company; and (ii) the obligation of the Purchaser to make an open offer in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (together, "**Proposed Transaction**"); and intimation bearing reference number AAVAS/SEC/2024-25/945 dated February 05, 2025, wherein intimation was made regarding receipt of approval from the Reserve Bank of India for the Proposed Transaction ("**RBI Approval**") subject to certain conditions specified therein including the requirement for prior public notice of a period of 7 (seven) days.

In light of the above and pursuant to the RBI Approval, the Joint Public Notice by the Company, the Sellers and the Purchaser has been published today, i.e., February 6, 2025 in Financial Express (All editions), and in Dainik Navjyoti and Jansatta (Hindi editions) (the newspaper clippings of the same are enclosed herewith), in accordance with Paragraph 47.1 of the Master Direction-Non-Banking Financial Company- Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 and Paragraph 42.3 of the Master Direction- Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023, read with the RBI Approval.

The above information is also available on the website of the Company and can be accessed at <https://www.aavas.in/investor-relations/newspaper-publication>.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking you,

FOR AAVAS FINANCIERS LIMITED

**SAURABH SHARMA
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
(ACS-60350)**

Enclosed: a/a

AAVAS FINANCIERS LIMITED

(CIN - L65922RJ2011PLC034297)

Regd. Office: 201-202, 2nd Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur-302020

Tel: +91 141 4659239 | E-Mail: info@aavas.in, website: www.aavas.in

Joint Public Notice

This Notice is being issued by Aavas Financiers Ltd. ("Company"), Aquilo House Pte. Ltd. ("Proposed Acquirer") and the Sellers (*as defined below*) pursuant to Paragraph 47 of the Master Direction-Non-Banking Financial Company- Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 ("HFC Master Directions") dated February 17, 2021 read with Paragraph 42.3 of the Master Direction- Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023, as amended from time to time ("RBI Master Directions")

Background: The Company is a public company incorporated on February 23, 2011 under the provisions of Companies Act, 1956 (bearing corporate identification number - L65922RJ2011PLC034297). The Company is a non-deposit taking housing finance company, registered with the National Housing Bank in terms of its certificate of registration (bearing registration no. 04.0151.17) dated April 19, 2017, under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987. The equity shares of the Company of face value of INR 10 each ("**Equity Shares**") are listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. Its registered office is at 201-202, 2nd Floor, Southend Square Mansarovar Industrial Area, Jaipur - 302 020, Rajasthan, India.

Aquilo House Pte. Ltd., i.e. the Proposed Acquirer, is a private company limited by shares incorporated on August 2, 2024, under the laws of Singapore (Corporate ID: 202431463C). It has its registered office / permanent address at 38 Beach Road, #29-11 South Beach Tower Singapore 189767. Its principal activity is holding of investments and related activities. The Proposed Acquirer is managed and / or advised by funds forming part of the CVC Network.

The "**CVC Network**" means the global alternative investment manager focused on private equity, credit, secondaries and infrastructure, consisting of CVC Capital Partners plc ("**CVC PLC**") and each of its subsidiaries from time to time. CVC PLC is a public limited company whose shares are listed and admitted to trading on the Euronext Amsterdam Stock Exchange.

Proposed Transaction: Proposed Acquirer seeks to acquire 2,09,49,112 Equity Shares of the Company representing 26.47% of paid-up share capital of the Company, by way of purchase of Equity Shares from the existing promoters and certain members of the promoter group of the Company, namely Lake District Holdings Limited, Partners Group ESCL Limited and Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC (collectively the "Sellers") pursuant to share sale agreements entered into by the Company and the Proposed Acquirer with each of the Sellers on August 10, 2024 (such documents, the "**Transaction Documents**", and such acquisition, the "**Proposed Acquisition**").

Pursuant to consummation of the Proposed Acquisition: (i) the Sellers will cease to be shareholders / promoters / promoters of promoter group of the Company and will cease to be in control of the Company; and (ii) the Proposed Acquirer will acquire control of the Company and will be classified as a promoter; and (iii) the board of directors ("**Board**") of the Company shall be re-constituted. The Proposed Acquirer proposes to nominate 5 directors on the Board of the Company ("**Proposed Directors**") upon completion of the Proposed Acquisition.

The execution of the Transaction Documents had also triggered an obligation of the Proposed Acquirer to make an open offer to the public shareholders of the Company ("**Tender Offer**") in terms of Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations), 2011.

Pursuant to the completion of the Tender Offer, the Proposed Acquirer will acquire up to 20,739,711 Equity Shares representing 26.00% of the expanded share capital of the Company, subject to the actual tendering of Equity Shares by the public shareholders of the Company in the Tender Offer.

Rationale: The Proposed Acquisition and Tender Offer (collectively, the "**Proposed Transaction**") would enable the Company to have the backing of a promoter shareholder with a reliable global reputation and trust with strong corporate governance. This would in turn assist in scaling the business of the Company. The Proposed Transaction would also enable the Company to leverage the CVC Network's expertise in the financial services domain globally, so as to increase productivity and strengthen operational efficiencies.

Approval: RBI, vide its letters dated February 4, 2025 (bearing Reference No. CO.DOR.HGG No.S7010/27-01-046/2024-2025 and Reference No. DOR.HGG.No.S.7014/18-02-056/2024-2025) ("**RBI Approval**") to the Company, has granted permission for (a) the proposed acquisition by the Proposed Acquirer of up to 52.68% of paid-up equity share capital of the Company; and (b) change in management due to appointment of the Proposed Directors on the Board of the Company. This is subject to compliance with the conditions specified therein. RBI has also granted dispensation regarding the period of public notice under Paragraph 47.1 of the HFC Master Directions from 30 days to 7 days.

Implementation: The Proposed Transaction will be consummated after fulfilment of various conditions including the expiry of 7 days from the date of publication of this Notice, in accordance with paragraph 47.1 of the HFC Master Directions read with the RBI Approval. Accordingly, this public Notice is being jointly issued by the Company, the Proposed Acquirer, and the Sellers with an intention to provide to the public, a notice / intimation regarding the proposed change discussed above.

Any clarifications and / or objections in this regard may be addressed to the Company, at its registered office mentioned above, within 7 days from the date of this Notice, with a copy marked to its Company Secretary and Compliance Officer, Mr. Saurabh Sharma (email id: saurabh.sharma2@aavas.in) or Chief Compliance Officer, Mr. Sharad Pathak (email id: sharad.pathak@aavas.in).

Issued By

Sd/- Authorised representative of Aavas Financiers Ltd.	Sd/- Authorised representative of Aquilo House Pte. Ltd.
Sd/- Authorised representative of Lake District Holdings Limited	Sd/- Authorised representative of Partners Group ESCL Limited
Sd/- Authorised representative of Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC	

Date: February 5, 2025

Place: Jaipur, Rajasthan

आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN - L65922RJ2011PLC034297)

पंजीकृत कार्यालय: 201-202, द्वितीय तल, साउथएंड स्कायर, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302020

फोन: +91 141 4659239 | ई-मेल: info@aavas.in, वेबसाइट: www.aavas.in

संयुक्त पब्लिक नोटिस

यह नोटिस आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड (Aavas Financiers Ltd.) ("कंपनी"), अक्विलो हाउस पीटीई. लिमिटेड (Aquila House Pte. Ltd.) (Aquila House Pte. Ltd.) ("प्रस्तावित अधिग्रहता") और विक्रेताओं (जैसा कि नीचे बताया गया है) द्वारा एचएफसी मास्टर निर्देशों के पैरा 47 और आरबीआई मास्टर निर्देशों के पैरा 42.3 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जो कि 17 फरवरी 2021 को मास्टर निर्देश-नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के साथ पढ़ा गया है और 19 अक्टूबर 2023 को मास्टर निर्देश-रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - स्केल बेस्ड रेगुलेशन) निर्देश, 2023 के अनुसार संशोधित किया गया है ("आरबीआई मास्टर डायरेक्शन")।

पृष्ठभूमि: कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, जिसे 23 फरवरी 2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 (CIN - L65922RJ2011PLC034297) के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है। कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है जो डिपॉजिट राशि नहीं लेती है। यह राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के तहत 19 अप्रैल, 2017 को जारी अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकरण संख्या 04.0151.17) के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत है। कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य के ("इक्विटी शेयर") नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं। इसका पंजीकृत कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथएंड स्कायर, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302 020, राजस्थान, भारत में स्थित है।

अक्विलो हाउस पीटीई. लिमिटेड (Aquila House Pte. Ltd.), यानी प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, एक निजी कंपनी है, जो 2 अगस्त 2024 को सिंगापुर के कानूनों के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत है (कॉर्पोरेट आईडी: 202431463C)। इसका पंजीकृत कार्यालय/स्थायी पता 38 बीच रोड, #29-11 साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर 189767 है। इसका प्रमुख कार्य निवेशों को धारण करना और उससे जुड़ी गतिविधियाँ संचालित करना है। प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता को CVC नेटवर्क से संबंधित कर्षों द्वारा प्रबंधित और/या सलाह दी जाती है।

"CVC नेटवर्क" एक वैश्विक वैकल्पिक निवेश प्रबंधक है जो प्राइवेट इक्विटी, क्रेडिट, सेकेंडरीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्रित है, जिसमें CVC कैपिटल पार्टनर्स पीएलसी ("CVC PLC") और समय-समय पर इसकी सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। CVC PLC एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और व्यापार के लिए स्वीकृत हैं।

प्रस्तावित ट्रांजेक्शन: प्रस्तावित अधिग्रहता कंपनी के 2,09,49,112 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, जो कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 26.47% हैं। यह अधिग्रहण कंपनी के मौजूदा प्रवर्तकों और कुछ प्रवर्तक समूह के सदस्यों, अर्थात् लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, पार्टनर्स ग्रुप ESCL लिमिटेड और पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी (मास्टर फंड), LLC (सामूहिक रूप से "विक्रेता") से इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से किया जाएगा। यह लेन-देन 10 अगस्त 2024 को कंपनी और प्रस्तावित अधिग्रहता द्वारा प्रत्येक विक्रेता के साथ किए गए शेयर बिक्री समझौतों के अनुसार किया जाएगा (इन दस्तावेजों को "ट्रांजेक्शन दस्तावेज़" कहा जाएगा, और इस अधिग्रहण को "प्रस्तावित अधिग्रहण" कहा जाएगा)।

प्रस्तावित अधिग्रहण के पूर्ण होने के बाद: (i) विक्रेता कंपनी के शेयरधारक / प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह के सदस्य नहीं रहेंगे और कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे; और (ii) प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करेगा और इसे प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; और (iii) कंपनी के निर्देशक मंडल ("बोर्ड") का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता प्रस्तावित अधिग्रहण के पूर्ण होने के बाद कंपनी के बोर्ड में 5 निर्देशकों ("प्रस्तावित निर्देशक") को नामांकित करने का प्रस्ताव करता है।

लेन-देन दस्तावेजों के निष्पादन के परिणामस्वरूप, प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम), 2011 के नियम 3(1) और 4 के तहत कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को एक ओपन ऑफर ("निविदा प्रस्ताव") देने की बाध्यता उत्पन्न हुई।

निविदा प्रस्ताव के पूर्ण होने के बाद, प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता कंपनी की विस्तारित शेयर पूंजी के 26.00% का प्रतिनिधित्व करने वाले 20,739,711 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगा, जो सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा निविदा प्रस्ताव में इक्विटी शेयरों की वास्तविक निविदा पर निर्भर करेगा।

युक्ति: प्रस्तावित अधिग्रहण और निविदा प्रस्ताव (सामूहिक रूप से, "प्रस्तावित ट्रांजेक्शन") कंपनी को एक ऐसे प्रवर्तक शेयरधारक का समर्थन प्रदान करेगा, जिसकी वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय प्रतिष्ठा और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन है। इससे कंपनी के व्यवसाय को विस्तारित करने में सहायता मिलेगी। प्रस्तावित लेन-देन कंपनी को CVC नेटवर्क की वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाने और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

अनुमोदन: आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 4 फरवरी 2025 (संदर्भ संख्या CO.DOR.HGG No.S7010/27-01-046/2024-2025 और DOR.HGG.No.S.7014/18-02-056/2024-2025) ("आरबीआई अनुमोदन") के माध्यम से कंपनी को अनुमति प्रदान की है कि (a) प्रस्तावित अधिग्रहता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 52.68% तक का अधिग्रहण कर सकता है; और (b) प्रस्तावित निर्देशकों की नियुक्ति के कारण कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन हो सकता है। यह अनुमोदन पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन है। आरबीआई ने एचएफसी मास्टर निर्देशों के पैरा 47.1 के तहत सार्वजनिक नोटिस की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 7 दिनों तक करने की भी विशेष छूट प्रदान की है।

कार्यान्वयन: प्रस्तावित लेनदेन आरबीआई की मंजूरी के साथ पढ़े गए एचएफसी मास्टर निर्देशों के पैरा 47.1 के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों की समाप्ति सहित विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद पूरा किया जाएगा। तदनुसार, यह सार्वजनिक नोटिस कंपनी, प्रस्तावित अधिग्रहता और विक्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा है, ताकि उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में सार्वजनिक सूचना / अधिसूचना प्रदान की जा सके।

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण और / या आपत्ति कंपनी के ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर भेजी जा सकती है। इसकी एक प्रति कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, श्री सौरभ शर्मा (ईमेल आईडी: saurabh.sharma2@aavas.in) या मुख्य अनुपालन अधिकारी, श्री शरद पाठक (ईमेल आईडी: sharad.pathak@aavas.in) को भी चिह्नित की जानी चाहिए।

जारीकर्ता	
Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड	Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, अक्विलो हाउस पीटीई. लिमिटेड
Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, पार्टनर्स ग्रुप ESCL लिमिटेड
Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी (मास्टर फंड), LLC	

तिथि: फरवरी 5, 2025
स्थान: जयपुर, राजस्थान

आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN - L65922RJ2011PLC034297)

पंजीकृत कार्यालय: 201-202, द्वितीय तल, साउथएंड स्कायर, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302020

फोन: +91 141 4659239 | ई-मेल: info@aavas.in, वेबसाइट: www.aavas.in

संयुक्त पब्लिक नोटिस

यह नोटिस आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड (Aavas Financiers Ltd.) ("कंपनी"), अक्विलो हाउस पीटीई. लिमिटेड (Aquila House Pte. Ltd.) (Aquila House Pte. Ltd.) ("प्रस्तावित अधिग्रहता") और विक्रेताओं (जैसा कि नीचे बताया किया गया है) द्वारा एचएफसी मास्टर निर्देशों के पैरा 47 और आरबीआई मास्टर निर्देशों के पैरा 42.3 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जो कि 17 फरवरी 2021 को मास्टर निर्देश-नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के साथ पढ़ा गया है और 19 अक्टूबर 2023 को मास्टर निर्देश-रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - स्केल बेस्ड रेगुलेशन) निर्देश, 2023 के अनुसार संशोधित किया गया है ("आरबीआई मास्टर डायरेक्शन")।

पृष्ठभूमि: कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, जिसे 23 फरवरी 2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 (CIN - L65922RJ2011PLC034297) के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है। कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है जो डिपॉजिट राशि नहीं लेती है। यह राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के तहत 19 अप्रैल, 2017 को जारी अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकरण संख्या 04.0151.17) के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत है। कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य के ("इक्विटी शेयर") नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं। इसका पंजीकृत कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथएंड स्कायर, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302 020, राजस्थान, भारत में स्थित है।

अक्विलो हाउस पीटीई. लिमिटेड (Aquila House Pte. Ltd.), यानी प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, एक निजी कंपनी है, जो 2 अगस्त 2024 को सिंगापुर के कानूनों के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत है (कॉर्पोरेट आईडी: 202431463C)। इसका पंजीकृत कार्यालय/स्थायी पता 38 बीच रोड, #29-11 साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर 189767 है। इसका प्रमुख कार्य निवेशों को धारण करना और उससे जुड़ी गतिविधियाँ संचालित करना है। प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता को CVC नेटवर्क से संबंधित कर्षों द्वारा प्रबंधित और/या सलाह दी जाती है।

"CVC नेटवर्क" एक वैश्विक वैकल्पिक निवेश प्रबंधक है जो प्राइवेट इक्विटी, क्रेडिट, सेकेंडरीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्रित है, जिसमें CVC कैपिटल पार्टनर्स पीएलसी ("CVC PLC") और समय-समय पर इसकी सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। CVC PLC एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर यूरोनेक्स एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और व्यापार के लिए स्वीकृत हैं।

प्रस्तावित ट्रांजेक्शन: प्रस्तावित अधिग्रहता कंपनी के 2,09,49,112 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, जो कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 26.47% हैं। यह अधिग्रहण कंपनी के मौजूदा प्रवर्तकों और कुछ प्रवर्तक समूह के सदस्यों, अर्थात् लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, पार्टनर्स ग्रुप ESCL लिमिटेड और पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी (मास्टर फंड), LLC (सामूहिक रूप से "विक्रेता") से इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से किया जाएगा। यह लेन-देन 10 अगस्त 2024 को कंपनी और प्रस्तावित अधिग्रहता द्वारा प्रत्येक विक्रेता के साथ किए गए शेयर बिक्री समझौतों के अनुसार किया जाएगा (इन दस्तावेजों को "ट्रांजेक्शन दस्तावेज़" कहा जाएगा, और इस अधिग्रहण को "प्रस्तावित अधिग्रहण" कहा जाएगा)।

प्रस्तावित अधिग्रहण के पूर्ण होने के बाद: (i) विक्रेता कंपनी के शेयरधारक / प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह के सदस्य नहीं रहेंगे और कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे; और (ii) प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करेगा और इसे प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; और (iii) कंपनी के निर्देशक मंडल ("बोर्ड") का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता प्रस्तावित अधिग्रहण के पूर्ण होने के बाद कंपनी के बोर्ड में 5 निर्देशकों ("प्रस्तावित निर्देशक") को नामांकित करने का प्रस्ताव करता है।

लेन-देन दस्तावेजों के निष्पादन के परिणामस्वरूप, प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम), 2011 के नियम 3(1) और 4 के तहत कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को एक ओपन ऑफर ("निविदा प्रस्ताव") देने की बाध्यता उत्पन्न हुई।

निविदा प्रस्ताव के पूर्ण होने के बाद, प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता कंपनी की विस्तारित शेयर पूंजी के 26.00% का प्रतिनिधित्व करने वाले 20,739,711 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगा, जो सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा निविदा प्रस्ताव में इक्विटी शेयरों की वास्तविक निविदा पर निर्भर करेगा।

युक्ति: प्रस्तावित अधिग्रहण और निविदा प्रस्ताव (सामूहिक रूप से, "प्रस्तावित ट्रांजेक्शन") कंपनी को एक ऐसे प्रवर्तक शेयरधारक का समर्थन प्रदान करेगा, जिसकी वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय प्रतिष्ठा और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन है। इससे कंपनी के व्यवसाय को विस्तारित करने में सहायता मिलेगी। प्रस्तावित लेन-देन कंपनी को CVC नेटवर्क की वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाने और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

अनुमोदन: आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 4 फरवरी 2025 (संदर्भ संख्या CO.DOR.HGG No.S7010/27-01-046/2024-2025 और DOR.HGG.No.S.7014/18-02-056/2024-2025) ("आरबीआई अनुमोदन") के माध्यम से कंपनी को अनुमति प्रदान की है कि (a) प्रस्तावित अधिग्रहता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 52.68% तक का अधिग्रहण कर सकता है; और (b) प्रस्तावित निर्देशकों की नियुक्ति के कारण कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन हो सकता है। यह अनुमोदन पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन है। आरबीआई ने एचएफसी मास्टर निर्देशों के पैरा 47.1 के तहत सार्वजनिक नोटिस की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 7 दिनों तक करने की भी विशेष छूट प्रदान की है।

कार्यान्वयन: प्रस्तावित लेनदेन आरबीआई की मंजूरी के साथ पढ़े गए एचएफसी मास्टर निर्देशों के पैरा 47.1 के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों की समाप्ति सहित विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद पूरा किया जाएगा। तदनुसार, यह सार्वजनिक नोटिस कंपनी, प्रस्तावित अधिग्रहता और विक्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा है, ताकि उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में सार्वजनिक सूचना / अधिसूचना प्रदान की जा सके।

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण और / या आपत्ति कंपनी के ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर भेजी जा सकती है। इसकी एक प्रति कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, श्री सौरभ शर्मा (ईमेल आईडी: saurabh.sharma2@aavas.in) या मुख्य अनुपालन अधिकारी, श्री शरद पाठक (ईमेल आईडी: sharad.pathak@aavas.in) को भी चिह्नित की जानी चाहिए।

जारीकर्ता

Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड	Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, अक्विलो हाउस पीटीई. लिमिटेड
Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, पार्टनर्स ग्रुप ESCL लिमिटेड
Sd/- अधिकृत प्रतिनिधि, पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी (मास्टर फंड), LLC	

तिथि: फरवरी 5, 2025

स्थान: जयपुर, राजस्थान